न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या–127 / 2017

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2017 / 00159

प्रार्थी

खेमचन्द पुत्र भूराराम जाति ब्राहमण निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भारत संघ जरिये सचिव, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर।
4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, खण्ड बीकानेर व नागौर
5. भवंरलाल पुत्र पारसमल
6. मनोज कुमार पुत्र पारसमल
   जातियान ब्राहमण निवासीगण सोलापुर, महाराष्ट्र।
7. जानादेवी पत्नि बद्रीनारायण के कायम मुकामान–
   7 / 1–भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राहमण निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर
   7 / 2–सत्यनारायण बद्रीनारायण जाति ब्राहमण निवासी गली नम्बर–02 रामनगर, पाली तहसील व जिला नागौर
8. फूसाराम पुत्र शिवदानराम जाति ब्राहमण निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर
9. जगदीश प्रसाद पुत्र शिवदानराम जाति ब्राहमण निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर
10. फूसी पुत्री हीराराम के कायम मुकामान–
    10 / 1–चम्पालाल पुत्र अखाराम जाति ब्राहमण निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर
11. बाबूलाल पुत्र बगताराम के कायम मुकामान–
    11 / 1–महेश कुमार पुत्र बाबुलाल
    11 / 2–लालचंद पुत्र बाबुलाल
    11 / 3–संतोष पत्नी बाबुलाल
    जातियान ब्रहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर
12. भैराराम पुत्र बगताराम के कायम मुकामान–
    12 / 1–रामीदेवी पत्नी भैराराम
    12 / 2–मूलचंद पुत्र भैराराम
    12 / 3–प्रेमचंद पुत्र भैराराम
    12 / 4–विनोद पुत्र भैराराम
    12 / 5–राजेन्द्र पुत्र भैराराम
    जातियान ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर
13. मांगीलाल पुत्र बगताराम
14. नारायण पुत्र बगताराम
    जाति ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर
15. नथमल पुत्र भूराराम के कायम मुकामान–
    15 [illegible]देवी पत्नी नथमल
    15 [illegible]श्या[illegible]दर पुत्र नथमल
    15 / 3 [illegible]कुमार पुत्र नथमल
    जाति ब्रा[illegible] निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर
16. बस्तीराम पुत्र भूराराम के कायम मुकामान–
    16 / 1 [illegible]वीर प्रसाद पुत्र बस्तीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

16/2–मंजू पत्नि बस्तीराम
जाति ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर

17. पन्नालाल पुत्र भूराराम के कायम मुकामान–
17/1–आशीष कुमार पुत्र पन्नालाल
17/2–विमलादेवी पत्नी पन्नालाल
जाति ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर

18. नेमीचंद के कायम मुकामान–
18/1–राहुलचंद पुत्र नेमीचंद
18/2–अशोक पुत्र नेमीचंद
18/3–सीतादेवी पत्नी नेमीचंद
18/4–उर्मीला पुत्री नेमीचंद नाबालिग जरिये संरक्षक माता सीतादेवी जाति ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर।

19. गोपालराम पुत्र गोविन्दराम पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहमण निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर।

20. रामचन्द्र पुत्र गोविन्दराम के कायम मुकामान–
20/1–हीरादेवी पत्नी रामचन्द्र
20/2–अशोक पुत्र रामचन्द्र
20/3–नन्दकिशोर पुत्र रामचन्द्र
20/4–मदनलाल पुत्र रामचन्द्र
जाति ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर

21. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम

22. घेवर चन्द पुत्र धूड़ाराम
जाति ब्राहमण निवासीगण अलाय तहसील व जिला नागौर

23. हनुमान प्रसाद पुत्र गिरधारीराम के कायम मुकामान–
23/1 दुर्गाप्रसाद पुत्र हनुमानप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बालाघाट आंध्रप्रदेश

24. रामेश्वरलाल पुत्र गिरधारीराम जाति ब्राहमण निवासी बालाघाट आंध्रप्रदेश

उपस्थित–

1. **प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ।**
2. **अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजपैरोकार।**

आदेश **दिनांकः–** 04-02-2021

1– प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–89 के **172/105 कि.मी. से 202/380 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के कि.मी.180.500 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के किमी. 172.105 नागौर बाईपास सहित)** तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन पैव्ड शोल्डर का बनाना आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति का एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित **अवार्ड दिनांक 23.03.2017** के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छ:(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अवाप्ति पुर्नस्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत **दिनांक 30.10.2017** को प्रस्तुत किया गया [illegible] कलक्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–5 से 24 [illegible] प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की ब[illegible] में कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 नागौर बीकानेर [illegible] लाइन सहित पेव्ड सोल्डर आदि बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) नियुक्त किया गया तथा दिनांक 04.05.2012 के द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई तथा साथ के साथ समाचार पत्रों में भी अधिसूचना निकाली गई। इस अधिसूचना के द्वारा ग्राम अलाय के खसरा संख्या 1254 तथा धून्धवालों की ढाणी के खसरा संख्या 1707 की भूमि को तथा आबादी क्षेत्र की प्रार्थी की पट्टाशुद भूमि को अवाप्त करने का प्रकाशन होने पर प्रार्थी ने इस संबंध में भूमि अवाप्ति प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उपरोक्त दोनो खसरों की भूमि का मुआवजा प्रार्थी व उसके भाईयों नथमल, बस्तीराम, पन्नालाल को मुआवजा देने बाबत निवेदन किया तथा आबादी पट्टाशुद भूमि की राशि सभी को दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी को अभी लगभग पन्द्रह दिन पहले इस बात की जानकारी हुई कि उपरोक्त भूमियों का अवार्ड जारी कर दिया गया है जिस पर प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन पेश कर नकल निकलवाई तब जानकारी हुई कि उपरोक्त दोनो खसरों की भूमि की मुआवजा राशि अकेले प्रार्थी व उसके तीन भाईयों के साथ साथ अन्य अप्रार्थीगण को भी देने के आदेश हुए है तथा अवाप्त की गई पट्टाशुद भूमि की राशि प्रार्थी व उसके भाईयों को नहीं दिलाई गई है। मुआवजा राशि भी कम तय की गई है इसलिए प्रार्थी अवाप्त की गई भूमि की राशि का पुनःमूल्यांकन, पुनर्निर्धारण तथा केवलमात्र प्रार्थी व उसके तीन भाईयों को राशि बढाकर दिलाये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया है।

2(1)—अवाप्त की गई गांव अलाय की खसरा संख्या 1254 तथा खसरा संख्या 1707 वाके मौजा धूंधवालों की ढाणी में आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी नारायण, नथमल, बस्तीराम के पिता श्री भूराराम तथा बगताराम व जेठाराम तीन भाईयों के सहखातेदारी की भूमि थी मगर उपरोक्त दोनो खसरों की भूमि तीनों भाईयों की आपसी सहमति से अकेले मुझ प्रार्थी के पिता भूराराम के बंट में रखी गई थी तथा बगताराम व जेठाराम के बंट में अन्य खसरों की भूमि रखी गई थी। भूराराम की मृत्यु हो चुकी है। भूराराम के उतराधिकारी प्रार्थी तथा अप्रार्थी नारायण, नथमल, बस्तीराम के अलावा राजस्व रेकर्ड खतौनी में दर्ज अन्य सहखातेदारों का किसी प्रकार का हक हिस्सा कब्ज बंट नहीं है न कभी रहा। इन लोगो ने अपने नाम हटाने का आश्वासन देते रहे मगर राजस्व रेकर्ड से नाम हटवायें नहीं।

2(2)—बन्ट के अनुसार अकेले भूराराम के बंट की भूमि होने से सम्पूर्ण अवाप्ति राशि भूराराम के प्रार्थी सहित चार पुत्र ही प्राप्त करने के अधिकारी है मगर खतौनी में अन्य खातेदारों के नाम चढें होने से अवार्ड राशि इन सहखातेदारों के नाम गलत जारी हुआ है। अन्य सहखातेदारान अवार्ड राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

2(3)—खसरा संख्या 1707 के संबंध में प्रार्थी द्वारा किया हुआ दीवानी वाद सिविल न्यायालय (क.ख.) नागौर की अदालत में चल रहा है। सिविल वाद के चलते इस खेत की अवाप्त की गई भूमि की राशि का भुगतान सिविल न्यायालय के निर्णय नहीं होने तक किसी भी सूरत में प्रार्थी व उसके भाईयों के अलावा किसी अन्य अप्रार्थीगण को नहीं दी जा सकती और न ही खसरा संख्या 1254 की भूमि की राशि अन्य अप्रार्थीगण को दी जा सकती है।

2(4)—ग्राम अलाय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजकीय चिकित्सालय के सामने भूराराम, बगताराम, जेठाराम की संयुक्त स्वामित्व संयुक्त कब्जे के दो पट्टाशुद भूखण्ड आये हुए है तथा भूराराम, बगताराम, जेठाराम की मृत्यु पश्चात् वर्तमान में ये दोनो भूखण्ड प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या पांच से पैंतीस के संयुक्त स्वामित्व संयुक्त कब्जे के है। इन भूखण्डों के पट्टा संख्या 17 व 18 है व दोनों पट्टे दिनांक 28.11.1964 को ग्राम पंचायत अलाय द्वारा भूराराम, बगताराम, जेठाराम के नाम जारी हो रखे है।

2(5)—इन दोनो भूखण्डो की अवाप्ति राशि के नोटिस में भूराराम के हम उतराधिकारियों के नाम नहीं आये है तथा अकेले अप्रार्थी बाबूलाल व मांगीलाल के नाम से अवार्ड जारी हुआ है। प्रार्थी द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि बाबूलाल व मांगीलाल ने पूर्व में भूराराम, बगताराम, जेठाराम के संयुक्त नाम से जारी पट्टों पर गलत रूप से ग्राम पंचायत को गलत तव्वजह देकर तथा सही तथ्य छुपाकर अपने नाम के नये पट्टे बाला बाला छुपे तौर पर प्राप्त कर लिये। गलत पट्टे बना लेने की प्रार्थी व उसके भाईयों को पहले कोई जानकारी नहीं थी। इन दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

भूखण्डो की मुआवजा राशि अकेले बाबूलाल तथा मांगीलाल को नहीं देकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या पांच से पैंतीस को संयुक्त रूप से दिलायी जानी चाहिए।

2(6)–दोनो खसरों की भूमि, दोनो भूखण्डो की भूमि की बाजारू दर से मुआवजा राशि नहीं दिलाई गई है। अत्यधिक कम कीमत आंक कर अवार्ड राशि का मूल्यांकन किया गया है। भूमि अवाप्ति संबंधी बने कानूनी, विधि तथा नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। अवार्ड में दर्शित राशि से कम से कम दोगुनी राशि तय की जानी चाहिए।

2(7)–भूमि अवाप्ति अधिकारी (एडीएम) नागौर द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 23.03.2017 के क्रम संख्या 113 व 138 में पारित अवार्ड राशि को दुगुना करने के आदेश दिलाकर ग्राम अलाय के खसरा संख्या 1254 तथा धूंधवालों की ढाणी के खसरा संख्या 1707 की सम्पूर्ण अवार्ड राशि एकमात्र प्रार्थी तथा अप्रार्थी नारायण, नथमल, बस्तीराम को दिलाई जाये तथा दोनो भूखण्डो की अवार्ड राशि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या पांच से पैंतीस सभी को दिलाये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

3– राजपैरोकार ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी श्री खेमचन्द पुत्र श्री भूराराम ब्राहमण निवासी अलाय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (नागौर–बीकानेर) सडक चौडाईकरण कार्य हेतु ग्राम अलाय के खसरा संख्या 1254 एंव धूंधवालों की ढाणी के खसरा संख्या 1707 में सें अधिग्रहण कर अवाप्त की गई भूमि के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि के लाभार्थियों के मध्य वितरण को लेकर एतराज होने से यह दावा माननीय मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन सही तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण अमान्य एंव निरस्त करने योग्य है।

3(1)– अधिग्रहण में अवाप्त की गई भूमि अलाय के खसरा संख्या 1254 एंव धूंधवालों की ढाणी के खसरा संख्या 1707 के वर्तमान में जो भी उतराधिकारी राजस्व रेकार्ड के अनुसार अभिलेखों में दर्ज है। उनके मध्य में मुआवजा की राशि वितरण योग्य है। प्रार्थी का भी उसके भाईयों सहित नाम है। अतः मुआवजा वितरण गलत नहीं है। जो अवार्ड पारित किया गया है। वह सही है।

3(2)– अवाप्त भूमि रेकार्ड के अनुसार केवल भूराराम की नहीं है। सभी भाई उसमें सहखातेदार है। इसलिये मुआवजा की राशि सहखातेदारों में वितरित की गई है। जो गलत नहीं है।

3(3)– खसरा संख्या 1707 के संबंध में दीवानी वाद के तहत यदि मुआवजा वितरण पर स्टे लिया है तो प्रस्तुत करके मुआवजा वितरण स्टे अवधि तक रूकवाने की कार्यवाही अलग से की जा सकती है। मुआवजे का निर्धारण एंव वितरण के आदेश वर्तमान स्थिति में नहीं है। अतः प्रार्थी का दावा निरस्त करने योग्य है। खसरा संख्या 1254 की भूमि पर नामांकित उत्तराधिकारियों में मुआवजा वितरण पर एतराज मान्य नहीं है।

3(4)– प्रार्थी के कथनानुसार आबादी क्षेत्र में अलाय में दो भूखण्ड भी अधिग्रहण में अवाप्त हो गये है। उनके मुआवजे की राशि भुगतान के अवार्ड में उसका व भाईयों का नाम नहीं है, जबकि उसके पिता व उनके दो भाईयों के नाम से पट्टा है। वर्तमान रेकार्ड के अनुसार भूखण्ड जिनके नाम है। मुआवजा उन्ही के नाम भुगतान हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी एंव उसके भाईयों के नाम नहीं होने से भुगतान नहीं किया जा सकता।

3(5)– प्रार्थी के कथनानुसार भूखण्ड के पट्टे अप्रार्थी बाबुलाल व मांगीलाल के नाम फर्जी तरीके से ले लिये गये। मेरे पिता व उसके भाईयों के नाम के पट्टो को गलत तरीके से बाबुलाल व मांगीलाल के नाम करवा लिये। जो गलत है। अतः इन भूखण्डो का मुआवजा भी हमे मिलना चाहिये। सरकारी रेकार्ड में जिन उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज है उन्ही को ही भुगतान किया जा सकता है। इससे अन्यथा स्थिति हो तो पहले सरकारी रेकार्ड दुरस्त करवाने के लिये सक्षम अधिकारी से उचित आदेश प्राप्त करे। तत्पश्चात् मुआवजे के लिये आवेदन करना चाहिये। सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण के वक्त भूमि के हितबद्ध कब्जाधारी को मुआवजा वितरण के लिये अवार्ड पारित किया गया है। जो सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

3(6)– अलाय एंव धूंधवालों की ढाणी के खसरों एंव अलाय आबादी भूमि के भूखण्डो के लिये बाजार दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया गया है। जो पर्याप्त है। अतः अवार्ड सही राशि का जारी किया गया है। वर्तमान में जारी किया गया अवार्ड एंव लाभार्थियों में बंटवारा सरकारी रेकार्ड के अनुसार सही किया गया है। प्रार्थी का दावा सही तथ्यों एंव नियमों पर अवधारित नहीं होने का कथन करते हुए निरस्त करने का निवेदन किया है।

4– वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार–

4(1)– नागौर जिले के कार्यक्षेत्र में **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–89 के 172/105 कि.मी. से 202/380 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के कि.मी.180.500 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के किमी. 172. 105 नागौर बाईपास सहित)** तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन पैव्ड शोल्डर का बनाने आदि) के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना **दिनांक 15.09.2015** को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए अवार्ड दिनांक **23.03.2017** को जारी किया गया है। इस अवार्ड के तहत हस्तगत प्रकरण में **ग्राम अलाय के खसरा नम्बर 1254 में से 600 वर्गमीटर भूमि बारानी–1 किस्म** का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल **मुआवजा 1,60,809/–रूपये** हितबद्ध व्यक्ति भंवरलाल, मनोज कुमार पिता पारसमल हिस्सा 1/12, भंवरलाल, सत्यनारायण पिता बदरीनारायण, जानादेवी पत्नी बदरीनारायण, पुसाराम, जगदीशप्रसाद पिता शिवदानराम 1/4, फूसी पुत्री हीरा 1/8, बाबुलाल, भेराराम, मांगीलाल, नाराणा पिता बगताराम, नथमल, बस्तीराम, पन्नालाल, खेमचंद पिता भूराराम, राहूलचंद, अशोक कुमार पुत्रगण नेमीचंद, सीतादेवी पत्नी नेमीचंद, उर्मीला पुत्री नेमीचंद उर्मीला अवयस्क संरक्षक माता सीतादेवी 1/6, बस्तीराम, गोपालराम, रामचन्द्र, ओमप्रकाश पिता गोविन्दराम 1/6, घेवरचंद पुत्र धुड़ाराम, हनुमान प्रसाद, रामेश्वरलाल, दिनेश कुमार पिता गिरधारीराम, गोमती पत्नी गिरधारीराम, घेवरचंद पुत्र धुड़ाराम, हनुमानप्रसाद, रामेश्वरलाल, दिनेश कुमार पिता गिरधारीराम, गोमती पत्नी गिरधारीराम 1/6, मोडाराम पुत्र जवानाराम 1/6 जाति ब्राहमण के पक्ष में निर्धारित किया गया तथा **ग्राम धुन्धवालों की ढ़ाणी खसरा नम्बर 1707 में से 705 वर्गमीटर भूमि बारानी–1 किस्म** का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल **मुआवजा 1,89,729/–रूपये** हितबद्ध व्यक्ति बाबूलाल, भैरालाल, मांगीलाल, नारायण पिता बगताराम, राहुलचंद, अशोक पुत्रगण नेमीचंद, सीतादेवी पत्नी नेमीचंद, उर्मीला पुत्री नेमीचंद उर्मीला अवयस्क संरक्षक माता सीतादेवी, घनश्याम, मनोज कुमार पिता नथमल, लिछमादेवी बेवा नथमल, मंजूदेवी बेवा बस्तीराम, महावीर पुत्र बस्तीराम, खेमचंद पुत्र भूराराम जाति ब्राहमण निवासी अलाय, विजय सोलंकी पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी नागौर के पक्ष में निर्धारित किया गया है।

4(2)– अवार्ड दिनांक **23.03.2017** के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक **15.09.2015** का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका नागौर में दिनांक **14.11.2015 को एवं दैनिक भास्कर नागौर में दिनांक 11.11.2015** में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके तहत उक्त निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के संबंध में दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुऐ आपत्तिकताओं की व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियां उचित/ठोस आधारों पर नहीं होने से उन्हे अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक **08.08.2016** का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका संस्करण में दिनांक **01.09.2016** को प्रकाशन करवाया गया। तत्श्चात प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पत्रांक–कोर्ट/भूमि अवाप्ति/2016/1661 दिनांक 29.08.2016 को उक्त प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस में प्रतिकार निर्धारण से पूर्व अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय अखबार राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 01.09.2016 प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकार प्रार्थी को यदि किसी प्रकार की आपत्ति रही थी तो तत्समय निर्धारित समयावधि में अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:24:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

आपत्ति/दावा सक्षम प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु उक्तानुसार प्रकाशन के पश्चात् प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

4(3)–वकील प्रार्थी ने इस्तदुआ में उल्लेख किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (एडीएम) नागौर द्वारा पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 23.3.17 में पारित अवार्ड राशि को दुगुना करने एवं ग्राम अलाय के खसरा संख्या 1254 तथा धून्धवालों की ढ़ाणी के खसरा संख्या 1707 की सम्पूर्ण अवार्ड राशि एकमात्र प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 16,17, व 18 को दिलाने तथा दोनों भूखण्डों की अवार्ड राशि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या पांच से पेंतीस सभी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा उपंजीयक नागौर से अवाप्तशुदा भूमि की डी.एल.सी. दरे मंगवाई गई तथा RFC & TLA R&R Act 2013 की धारा 26 के अनुसार बाजार मूल्य की अवधारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए जारी होने की दिनांक 15.09.2015 को आधार तिथि माना गया। औसत विकमय कीमत का अवधारण दिनांक 15.09.2015 से ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान विकय करार जिनमें उच्चतम विकय मूल्य का उल्लेख किया गया, के कुल संख्या के आधे के हिसाब से औसत मूल्य की गणना धारा 3ए की अधिसूचना को विकय विलेख या विकय के करार के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में भी विर्निदिष्ट बाजार मूल्य (डीएलसी दरें) से तुलना की गई। जिसमें डीएलसी दर उच्चतम पायी गई है, जिस अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा का निर्धारण किया गया है। धारा 26(2) के अनुसार कारक जिनसे बाजार मूल्य को गुणित किया गया है। वह हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा दोनों खसरों की भूमि के संबंध में बाजार मूल्य को कारक 1.50 से गुणित किया गया है। धारा 30(1) के तहत प्रतिकार की सकम के समतुल्य तोषण राशि का भी अवार्ड में निर्धारण किया गया है। धारा 30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 3ए की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक से अवार्ड निर्धारण की दिनांक तक 468 दिनों का बाजार मूल्य पर अतिरिक्त राशि का निर्धारण भी अवार्ड में किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का नियमानुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है, इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा अवार्ड पारित कर जो मुआवजा निर्धारित किया है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। प्रार्थी की अवार्ड राशि को दुगुना करने के संबंध में वकील प्रार्थी ने ऐसा कोई नियम, परिपत्र अथवा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए वकील प्रार्थी का कथन कि अवार्ड राशि को दुगुना किया जाये विधि सम्मत नहीं है।

4(4)–राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3छ की उप–धारा–5 के अनुसार उप–धारा 1 व 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है तो रकम किसी पक्षकार के आवेदन पर मध्यस्थ द्वारा अवधारित किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3छ(5) के अन्तर्गत मध्यस्थ को अवाप्तशुदा भूमि से हितबद्ध व्यक्ति के निर्धारण का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

5–उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक **23.03.2017** को पारित अवार्ड यथावत कायम रखा जाता है।

6–आदेश सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:24:38 IST
Reason: SelfAttested